

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>16.11.21 उदयलाल</p>	<p>पत्रावली पैस डई। वादी एवं इनके आधिकार ने उपस्थित होकर वाद पत्र को विद्रो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील वादी एवं वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद पत्र को विद्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद पत्र को विद्रो कर लेने से अब और कोई आगे कार्यवाही की जाना उचित नहीं है। अतः वादी का वाद पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली केसस शुमाट वोकलम्बरसे कम है।</p>

